<u>न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर।</u>

<u>पीठासीन अधिकारी श्री छगन लाल गोयल आर0ए0एस</u>

राजस्व अपील संख्या :— 35/2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
हड़मानराम पुत्र हरचंदराम जाति गवांरिया निवासी ढाढणियां भायला तहसील बालेसर, जिला जोधपुर		राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार बालेसर,

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 06.09.2017 जो नायब तहसीलदार बालसेर द्वारा प्रकरण सं 46/2017 उनवान सरकार जरिये बनाम हडमानराम के पारित सरकारी भूमि बताते हुए अतिक्रमी मानते हुए धारा 91 भू—राजस्व अधिनियम के तहत उक्त आराजी पर से उसे बेदखल करने व फसल/मलबा राज हित में जब्त करने व जुर्माना राशि आरोपित किया।

— — —

उपस्थिति :—

1. अपीलान्ट की ओर से श्री उम्मेदाराम गोदारा
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से सरकारी परोकार

—: <u>आदेश</u> :— दिनांक :— **21.12.2017**

यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत आदेश नायब तहसीलदार बालेसर दिनांक 06.09.2017 जो मुकदमा सं 46/2017 में पारित किया गया है, के विरुद्ध पेश की गई है जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के विरुद्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम ढाढणियां भायला के खसरा न0 509 रकबा 0.02 किस्म गोचर की भूमि पर मकान अतिक्रमण होना बताकर बेदखली जुर्माना करते हुए आदेश पारित किया है जिससे रुष्ठ होकर यह अपील की गई है।

हमने इस प्रकरण में अपीलान्ट के योग्य वकील एवम् रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक की बहस उभय पक्ष सुनी तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया । वकील अपीलान्ट ने तर्क देते हुए स्पष्ट किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया है। परन्तु प्रकरण में किसी तरह की विधिवत सुनवाई का अवसर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को नहीं दिया गया न ही तथ्यों की जाँच की गई जिससे अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य बताया। यह भी तर्क दिया कि निर्णय से पूर्व धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं हुई है तथा उक्त निर्णय विधि के प्रावधानों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योगय बताया।

सरकारी पेरोकार ने तर्क देते हुए कथन किया कि अपीलान्ट एक अतिक्रमी है । उसके द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने से अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो पूर्णतः विधि अनुसार उचित होने से अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य बताया ।

बहस उभय पक्ष पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रुप से अप्रार्थी (अपीलान्ट) को प्रारुप संख्या ''क'' नियम – 3 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया गया जिसकी तामिल विधिवत रुप से करवायी गई। अप्रार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.08.2017 को स्वयं उपस्थित होकर दिनांक 25.08.2017 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें नोटिस का जवाब एवं दस्तावेज पेश करने हेतु समय दिलाने हेतु मांग की गई, जिसका उल्लेख अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के फर्द अहकाम दिनांक 25.08.2007 पर किया गया है। ''पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत किया जो पत्रावली किया। पत्रावली आईन्दा दिनांक 06.09.2017 को पेश हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से यह भी स्पष्ट हुआ कि पटवारी हल्का द्वारा अतिकमण की रिपोर्ट के कॉलम संख्या 4 में मकान का उल्लेख किया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 06.09.2017 के आदेश में यह उल्लेख किया है कि अप्रार्थी को अतिकमी घोषित किया जाता है तथा अतिकमी को भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जा ते है तथा दण्ड स्वरूप लगान का 50 गुणा रूपये जुर्माना आरोपित किया जाता है। इसी आदेश के प्रथम पेरा में अप्रार्थी द्वारा फसल काश्त कर अतिकमण करने तथा अंतिम पैरा में यह उल्लेख किया है कि ''पटवारी हल्का अप्रार्थी को मौके पर फसल काश्त को कुर्क कर निलाम कर राशि राज्य कोष जमा करावें। पटवारी हल्का अप्रार्थी को मौके से बेदखल करे एवम जुर्माना राशि वसूल कर राज्य कोष में जमा करावें।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अप्रार्थी (अपीलान्ट) द्वारा दिनांक 25.08.2017 को उपस्थित होकर इस आश्य का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि मुझे इस प्रकरण में जवाब व दस्तावेज पेश करने एवम विधिक काउंन्सिल की आवश्यकता है और मैं अपना अधिवक्ता नियुक्त कर जवाब व दस्तावेज पेश करना चाहता हूॅं, इस हेतु समय दिया जावें जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 06.09.2017 को अप्रार्थी को जवाब व दस्तावेज प्रस्तुत करने का समय दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरित जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो यथावत रखने योग्य नहीं है।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 46/2017 निर्णय दिनांक 06.09.2017 का अपास्त किया जाकर तहसीलदार बालेसर को प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जात है कि वह अप्रार्थी (अपीलान्ट) को जवाब व दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त समय दिया जाकर विधि के विधान अनुसार निर्णय पारित करें।

(छगन लाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर–प्रथम
जोधपुर।

निर्णय आज दिनांकः 21.12.2017 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(छगन लाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर–प्रथम
जोधपुर।